वकील की हत्या का मास्टरमाइंड 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

करैरा, 17 फरवरी। करैरा थाना पुलिस द्वारा वीरान घाटी मे हुई अधिवक्ता की निर्मम हत्या का मास्टरमाइंड 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीओपी अनुभाग करैरा के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी करैरा अपनी टीम के साथ उक्त आरोपी की तालाश में निकले हुए थे, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपराध का मास्टरमाइन्ड आरोपी सचिन रावत रक्शा झाँसी के पास राजापुर में छिपा हुआ है। आरोपी-सचिन रावत पुत्र माधौ सिह रावत नि. ग्राम टोरियाकला थाना करैरा जिला शिवपुरी को रक्शा झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

एस. डी. ओ. पी. करैरा डॉ आयुष जाखड़ द्वारा कुल 06 टीमे गठित की गयी जिनका नेतृत्व थाना प्रभारी सुरवाया उनि अरविन्द्र छारी, थाना प्रभारी अमोला उनि अंशुल गुप्ता, चौकी प्रभारी सुनारी उप निरि0 चेतन शर्मा, चौकी प्रभारी हिम्मतपुर उनि धर्मेन्द्र गुर्जर, चौकी प्रभारी थनरा उनि रामानंद पचौरी एवं सायवर रौल प्रभारी उनि धर्मेन्द्र जाट के द्वारा किया गया।

अन्य आरोपी की तालाश मे पुलिस टीमे दिनारा, टोरिया, झाँसी की तरफ रवाना हुई। पूर्व में सुनील शर्मा एवं कमलेश शर्मा को राउँडअप कर हिकमत अमली से पूँछताछ की गई थी पूछताछ पर दोनो आरोपीगणों ने बताया था कि बह दोनो चाचा भतीजे ने संजय वकील से पुरानी सरपंची एवं जमीन की रंजिस को लेकर संजय वकील को खत्म करने की योजना बनाई थी जिसमे उन्होंने टोरियाकला के सचिन रावत से संपर्क कर सचिन रावत को संजय वकील को खत्म करने के लिये 10 लाख की सुपारी दी थी जिसमे 02 लाख रुपये एडवांस के रुप मे दे दिये थे वाकी के 08 लाख रुपये काम होने पर देना थे।

सचिन रावत ने ही संजय वकील को खत्म करने वाले बदमाश पपेन्द्र पुत्र हरदास रावत निवासी चांदपुर थाना डबरा जिला ग्वालियर, राजकुमार उर्फ गोलू रावत पुत्र अरविन्द्र रावत निवासी घूघसी थाना बडोनी जिला दतिया, जहीर खान पुत्र रफीक खान निवासी घूघसी थाना बडोनी जिला दतिया को एडवांस में 02 लाख रूपये दिये थे तीनो बदमाशो ने ही संजय वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

कुलदीप सक्सैना पुत्र स्व. रामरतन सक्सैना उम्र 39 साल निवासी घरियाली मुहल्लापन करैरा ने रिपोर्ट की थी कि उसके बडे भाई एडवोकेट संजय कुमार सक्सैना अपने मकान से बांस पहाडी के रास्ते होते हुए मोटरसाईकिल से करैरा न्यायालय की तरफ जा रहे थे। करीवन 11.50 बजे रास्ते से जाने वाले अन्य वकीलो ने संजय सक्सैना को रास्ते मे मोटरसाईकिल के वगल मे गिरे हुए देखा ओर पाया कि उनके सीने में गोली लगने का निशान है, घटना की सूचना फरियादी कुलदीप सक्सैना को मिली तो वह मोके पर पहुंचा और पाया की उसके भाई संजय सक्सैना की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द कुमार सक्सैना तथा उप पुलिस महानिरीक्षक अमित सांघी द्वारा घटना की सूचना मिलते ही बारीकी से प्रत्येक बिन्दु पर सूक्ष्मता से जांच करने के आदेश दिए।

सिविल कोर्ट मे जमीन विवाद के केस लड़ते थे

फरियादी कुलदीप सक्सैना ने वताया कि उसके भाई सिविल कोर्ट मे जमीनी विवाद के केस लडते थे। भाई ने कुछ समय पहले हमारे गाँव के कमलेश शर्मा के खिलाफ, मिठुआ जाटव का केश लडा था जिसको लेकर कमलेश शर्मा व उसके चाचा सुनील शर्मा व नीरज शर्मा के साथ उनकी रंजिस हो गयी थी। वर्ष 2015 मे हुए पंचायत चुनाव मे मृतक संजय सक्सैना व सुनील शर्मा सरपंच पद के लिये आमने सामने थे, जिसके बाद इनके बीच चुनावी मतभेद शुरु हो गये थे। मृतक संजय सक्सैना की ग्राम -सिगदौआ मे कृषि भूमि पर कब्जे को लेकर भी सुनील शर्मा व कमलेश शर्मा के साथ विवाद हो चुका था जिसगे पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी थी। सुनील कमलेश शर्मा द्वारा इन्हे उक्त केश वापस लेने के लिये दवाव बनाया जा रहा था।

सराहनीय भूमिका

थाना प्रभारी करैरा निरी. श्री विनोद छावई, थाना प्रभारी सुरवाहा उनि अरविन्द्र छारी, थाना प्रभारी अमोला उनि अंशुल गुप्ता, चौकी प्रभारी सुनारी उप निरि0 चेतन शर्मा, चौकी प्रभारी हिम्मतपुर उनि धर्मेन्द्र गुर्जर, सायवर सैल: प्रभारी धर्मन्द्र जाट, चौकी प्रभारी थनग उनि रामानंद पचौरी, सउनि चरण सिंह, प्रआर 891 डैनी कुमार, प्र.आर. हर्ष झा थाना सुरवाया, प्रआर राजेन्द्र सिंह थाना सुरवाया, प्रआर दीपक उपाध्याय थाना अमोला, प्रआर विकाश चौहान, आर0 338 हरेन्द्र सिंह, आर0-895 राधेश्याम जादौन, आर 1165 मत्स्येन्द्र गुर्जर, आर सुरेन्द्र रावत, आर 822 जितेन्द्र कुमार, आर मोहित थाना अमोला, आर देशराज राठौर थाना सुरवाया, आर जलज रावत, आर भूपेन्द्र यादव, आर संतोष पाठक, आर दीपक, आर पवन राठोर, आर-नीरज कुशवाह, आर संतोष कुशवाह।

हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को किया बरी

शिवपुरी, 17 फरवरी। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए संपूर्ण साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के वकील के न्याय दृष्टांत एवं साक्ष्य में आई कमियों के आधार पर तीन आरोपियों को हत्या के मामले से बरी कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

रेलवे लाइन पर मिली थी लाश

अभियोजन के अनुसार दिनांक 26.12.2024 को सायं 7 बजे फरियादी विजय कुशवाह के भाई विनोद कुशवाह ने छोटू कुशवाह उधारी के पैसे मांगे, इसी बात पर से छोटू कुशवाह, सोनू कुशवाह और उसके भाई विनोद से झगड़ा करने लगे एवं मारपीट करने लगे, उस समय विशन कुशवाह, बुंदेल कुशवाह थे, रात को उसके भाई विनोद को छोटू कुशवाह, सोनू, कल्लू बुलाकर ले गए, सुबह उसके भाई विनोद की लाश रेल्वे लाईन पुल के ऊपर मिली। उसके भाई विनोद को सोनू, छोटू तथा कल्लू ने मारकर रेल्वे लाईन पर फेंक दिया।

फरियादी के उक्त आशय के आवेदन के आधार पर पुलिस थाना बदरवास ने धारा 103(1),3(5) बीएनएस में हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया और अभियुक्तगण को हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में आए संपूर्ण साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के वकील के न्याय दृष्टांत एवं साक्ष्य में आई कमियों के आधार पर आरोपियों को हत्या के मामले से बरी कर दिया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव, अस्पाक खान, अजय शाक्य एवं कुं.अनुष्का डोंगरे ने की।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी, 17 फरवरी। बीती 31 अगस्त 2025 को पुलिस थाना बदरवास में फरियादी चन्द्रभान यादव पुत्र पहलवान सिंह यादव उम्र 58 साल निवासी सेसई खुर्द थाना बदरवास कि रिपोर्ट पर से थाना बदरवास पर अपराध क्र 246/25 धारा 74, 351(2) बीएनएस 9/10 पॉक्सो एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना मे आये साक्ष्य के आधार पर प्रकरण मे धारा 65 (2) बीएनएस 5(एम)/6 पॉक्सो ईजाफा कर आरोपी की तलाश के काफी प्रयास किये गये लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नही हो सकी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा आरोपी की तलाश कर शीघ्र पकडने हेतु निर्देश दिये थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस संजय मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी बदरवास निरीक्षक रोहित दुबे द्वारा बीते रोज थाना बदरवास की पुलिस टीम के साथ मुखबिर सूचना पर से आरोपी जगभान उर्फ कल्ला यादव पुत्र बादल सिंह उम्र 34 साल निवासी ग्राम सेसईखुर्द थाना बदरवास को गिरफ्तार कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने से आरोपी को जेल दाखिल किया गया। इस कार्यवाही को अनुविभागीय अधिकारी कोलारस संजय मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी निरी रोहित दुबे, उनि नोबेल खेस, उनि शिखा तिवारी, सउनि गोपाल बाबू सउनि विवेक भट्ट, सउनि जगदीश पारासर, आर दर्शन रावत, आर दीपक शर्मा, आर रिकू माहौर के द्वारा अंजाम दी गई।

अवैध हथियार लेकर घूम रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

शिवपुरी, 17 फरवरी। थाना प्रभारी सिरसौद उपनिरीक्षक मुकेश दुबौलिया एवं पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा एक व्यक्ति के अवैध रूप से देशी 315 बोर का कट्टा रखकर अपराध करने की नीयत से जामखो रोड पर पुलिया के पास खड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन में उक्त मुखबिर सूचना पर से थाना प्रभारी सिरसौद की टीम द्वारा जामखो रोड पर पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी जितेंद्र जाटव पुत्र प्रहलाद जाटव उम्र 26 साल निवासी ग्राम रौदा थाना सिरसौद को पकड़ा एवं उसके कब्जे से अबैध रूप से लिये 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा राउंड कीमती 5200 रुपये की जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध कायम किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरसौद उपनिरीक्षक मुकेश दुबोलिया, सउनि बृजपाल सिंह तोमर, प्रआर.जितेंद्र करारे, प्रआर. रविन्द्र सिनोरिया, प्रआर. मुकेश इंदौरिया, प्रआर. जितेंद्र रायपुरिया की अहम भूमिका रही।

बोर्ड परीक्षा : 10वी के अंग्रेजी प्रश्नपत्र में डीईओ ने खोड़ में डाला डेरा

डीपीसी पोहरी तो परीक्षा प्रभारी की करैरा में दस्तक, सख्ती का दिखा असर, नहीं मिला कोई नकलची, शांतिपूर्ण रही परीक्षा

शिवपुरी, 17 फरवरी। बोर्ड परीक्षाओं का क्रम जारी है। प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग की रणनीति जिले में व्यवस्थित और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन में फिलहाल कारगर साबित हो रही है। इसी क्रम में 10 वी कक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नपत्र में शामिल अंग्रेजी विषय का प्रश्नपत्र मंगलवार को 66 केन्द्रों पर आयोजित हुआ।

अमूमन इस विषय में नकल की आशंका को देखते हुए विभागीय व एसडीएम के नेतृत्व में गठित उडन्दस्तों ने मोर्चा संभाला और जिलेभर के संवेदनशील सहित अन्य केन्द्रों पर दस्तक दी। जिला शिक्षाधिकारी विवेक श्रीवास्तव खोड़ के उमावि व मावि केन्द्र पर परीक्षा शुरू होते ही जा पहुंचे और पूरे समय डटे रहे। इस दौरान पिछोर बीईओ विनोद गुप्ता का दल भी यहां डेरा डाला रहा।

इधर डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार व एपीसी अतरसिंह राजौरिया की टीम ने पोहरी के कन्या उमावि, संदीपनी स्कूल सहित अशासकीय गोंजालो गार्सिया स्कूल केन्द्र का सघन निरीक्षण किया तो वहीं जिला परीक्षा प्रभारी राजाबाबू आर्य ने शुरूआत शहर के कन्या उमावि आदर्श नगर व सरस्वती विद्यापीठ केन्द्र से की। इसके बाद उन्होंने करैरा के उमावि सिरसौद, सरस्वती शिशु मंदिर, संदीपनी उमावि करैरा सहित उत्कृष्ट व कन्या उमावि केन्द्र का निरीक्षण किया।

जिला क्रीड़ा अधिकारी चंद्रशेखर बेमटे की टीम ने शहर के संदीपनी उमावि, हैप्पीडेज उमावि, हाईस्कूल फिजीकल व आईपीएस केन्द्र का निरीक्षण किया। खासबात यह रही कि सभी केन्द्रों पर परीक्षा व्यवस्थित संचालित मिली और निरीक्षण दलों को किसी भी केन्द्र पर कोई नकलची नहीं मिला।

20159 परीक्षार्थियों ने हल किया अंग्रेजी का प्रश्नपत्र

जिला परीक्षा प्रभारी राजाबाबू आर्य ने बताया कि हाईस्कूल का अंग्रेजी का प्रश्नपत्र सभी 66 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में कुल 20 हजार 711 परीक्षार्थी नामांकित थे जिनमें से 20 हजार 159 ही परीक्षा देने पहुंचे। जबकि 552 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। सबसे ज्यादा 121 परीक्षार्थी पिछोर विकासखंड के केन्द्रों पर अनुपस्थित रहे। जबकि शिवपुरी विकासखण्ड में 110, करैरा में 79, कोलारस में 61, पोहरी में 53, नरवर में 50, खनियांधाना में 44 व बदरवास में 34 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। जिले में 12 वी के ड्रॉइंग एवं डिजाइजन विषय में कोई भी परीक्षार्थी नामांकित न होने से प्रश्नपत्र आयोजित नहीं हुआ। परीक्षा के दौरान जिला कंट्रोल रूम पर प्रभारी प्राचार्य सुनील चौरसिया, भूपेन्द्र शर्मा व कौशल शर्मा सहित टीम निर्धारित सारणी के अनुसार जानकारी अधतन व वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करती रही।

आज होंगें 12 वी के चार महत्वपूर्ण प्रश्नपत्र

बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में बुधवार का दिन भी विभाग के लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 12 वी कक्षा के चार महत्वपूर्ण विषयों का प्रश्नपत्र आयोजित होना है। इनमें 12 वी के विज्ञान संकाय का रसायनशास्त्र, कला संकाय में इतिहास सहित व्यवसाय अध्ययन एवं एलीमेंट ऑफ साइंस एण्ड मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर विषय के प्रश्नपत्र शामिल हैं।

इनका कहना है

जिले में मंगलवार को 10 वी के अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्र के दौरान 20159 परीक्षार्थी शामिल हुए। विभाग के अलावा प्रशासनिक उडऩदस्तों ने पूरी कसावट के साथ महत्वपूर्ण परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कहीं भी कोई नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। परीक्षा व्यवस्थित व शांतिपूर्ण संचालित हुई।

विवेक श्रीवास्तव,
जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी

स्वास्थ्य शिविर कल, बीमारियों का होगा नि :शुल्क उपचार

करेरा, 17 फरवरी। माधवराव सिंधिया स्वास्थ सेवा मिशन के निमित्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विशेष प्रयासों से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का आयोजन करेरा स्वास्थ्य क्रेन्द्र पर किया जा रहा है जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित स्पेशलिस्ट चिकित्सों द्वारा परमर्श एवं परीक्षण नि:शुल्क किया जाएगा। शिविर में चिन्हित मरीजों को शिवपुरी ले जाकर भोपाल इंदौर मुंबई चंडीगढ़ दिल्ली के एम्स डॉक्टरों द्वारा हर तरह की जटिल एवं गंभीर बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन निशुल्क किऐ जाएंगे एवं दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण निशुल्क दिए जाएंगे। मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि सभी गंभीर बीमार व्यक्ति 19 फ़रवरी,गुरुवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करेरा पर पहुंच कर अपना परीक्षण अवश्य कराए।

गजरथ फेरी के साथ पंचकल्याणक का ऐतिहासिक समापन

शिवपुरी, 17 फरवरी। शिवपुरी जिले के बुंदेलखंड की धर्मनगरी खनियांधाना में आयोजित पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं त्रयगजरथ महोत्सव का आज श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य समापन हुआ। मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज एवं मुनि 108 श्री निरापद सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में मोक्ष कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गईं।

जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित

शिवपुरी, 17 फरवरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में आगामी जनगणना 2027 को डिजिटल मोड में संपादित किए जाने से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

डिमांड नोटिस

जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे बताए गए ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए) (जिसे इसके बाद "ARCIL" कहा जाएगा) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे इसके बाद "SARFAESI एक्ट'' कहा जाएगा) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और जबकि नीचे दिए गए चार्ट के कॉलम नंबर 2 में बताए गए कर्जदार/सह-कर्जदारों ने IIFL-होम फाइनेंस लिमिटेड, जो मूल कर्जदाता हैं, से लोन लिया था और जबकि ARCIL ने नीचे बताए गए लोन खातों से संबंधित फाइनेंशियल एसेट्स हासिल कर लिए हैं और जबकि ARCIL SARFAESI एक्ट के तहत सुरक्षित लेनदार है, और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में बताई गई राशि को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।
लेकिन कुछ लोगों को अलग-अलग कारणों से नोटिस नहीं दिए जा सके। ट्रस्ट का नाम Arcil Trust 2026 015

देनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
श्री नेत्रपाल श्रीमती सपना (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10682572)	06-जनवरी-2026, रुपये 1405103.76/- (रु. चौदह लाख पांच हजार एक सौ तीन और पैसा छिहत्तर मात्र)	संपत्ति का वह भाग- प्लॉट संख्या L-03, महालक्ष्मी नगर, सर्वे संख्या 45, वार्ड संख्या 42, ग्राम-साहनपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474003, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल- 675

इसलिए, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाई गई कुल बकाया राशि का पेमेंट करें. यदि संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता कुल बकाया राशि का पेमेंट आगे के ब्याज के साथ करने में विफल रहते हैं, तो ARCIL ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य तरीकों से नोटिस देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) में बताए अनुसार, सार्वजनिक नीलामी या बिक्री द्वारा ट्रांसफर के लिए निजी समझौते के नोटिस के पब्लिकेशन की तारीख से पहले किसी भी समय, Arcil द्वारा किए गए खर्चों, शुल्कों और व्ययों के साथ पूरी बकाया राशि का पेमेंट करके उक्त गिरवी को भुनाया जा सकता है.
ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको इसके द्वारा सुरक्षित प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से ट्रांसफर करने और/या उससे निपटने से रोका जाता है.

स्थान: ग्वालियर
दिनांक: 18-2-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड. सीआईएन क्रमांक-65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028. दूरभाष- +91 2266581300. वेबसाइट- www.arcil.co.in

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला शिवपुरी म .प्र .

क्रमांक/ अस्प.प्रशा/ नि.शा/2026/1847 — शिवपुरी दिनांक 10/2/26

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला चिकित्सालय शिवपुरी में नल फिंटिग सामग्री+कंटनजेंसी सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण

जिला चिकित्सालय शिवपुरी हेतु नल फिंटिग सामग्री +कंटनजेंसी सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य से संबंधी विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र में दिये गये है। निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाईन https://mptenders.gov.in बेवसाइट से क्रय किये जा सकेंगे एवं निविदा ऑनलाईन ही नीचे दिये गये समय अनुसार प्रविष्ठ की जा सकेगी।

निविदा क्रमांक	निविदत्त कार्य का विवरण	निविदा धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य प्रारंभ की समय सीमा व कार्यावधि
क्रय 2025-26 No.03	जिला चिकित्सालय शिवपुरी हेतु नल फिंटिग सामग्री +कंटनजेंसी सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रण	अर्नेस्ट मनी रु. 20000/- ऑनलाईन जमा की जावेगी, जिसकी रसीद टेंडर के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें	500/- (पांच सौ रूपये मात्र)	कार्य प्रारंभ 3 दिवस (कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष हेतु) सत्र 2025-26 हेतु

निविदा प्रक्रिया समय सारणी :-

क्र.	निविदा प्रक्रिया	दिनांक व समय
1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय प्रारंभ की तिथि	18-02-2026, 11:00 PM
2.	प्री बिड बैठक का दिनांक	24-02-2026, 01:00 PM
3	ऑनलाईन निविदा सबमिट करने का अंतिम दिनांक	09-03-2026, 05:00 PM
4.	अर्नेस्ट मनी व तकनीकी बिड खोले जाने का दिनांक व समय	10-03-2026, 05:30 PM

G-25933/25

सिविल सर्जन
सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय शिवपुरी म.प्र.

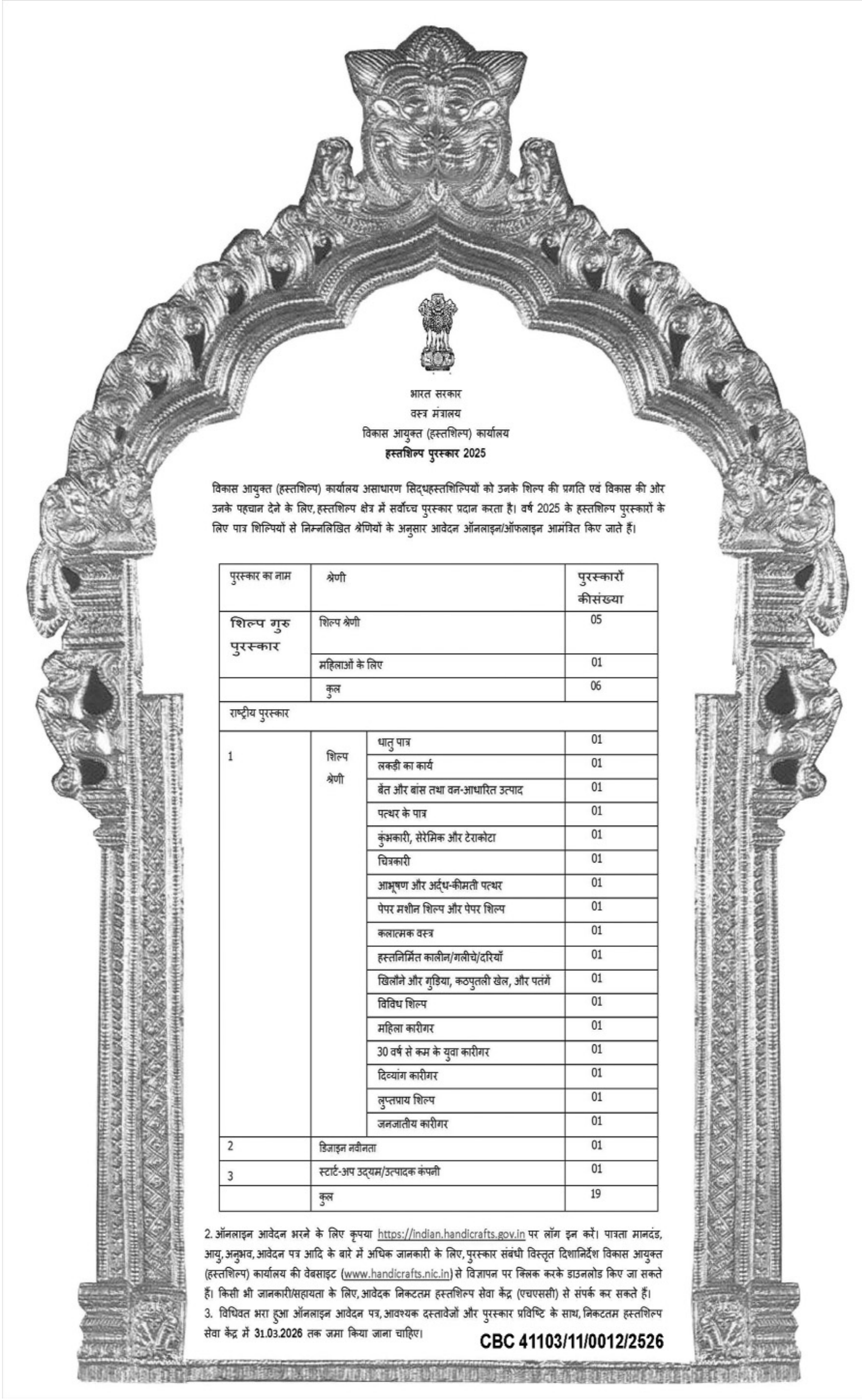

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय
हस्तशिल्प पुरस्कार 2025

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय असाधारण सिद्धहस्तशिल्पियों को उनके शिल्प की प्रगति एवं विकास की ओर उनके पहचान देने के लिए, हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करता है। वर्ष 2025 के हस्तशिल्प पुरस्कारों के लिए पात्र शिल्पियों से निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन आमंत्रित किए जाते हैं।

पुरस्कार का नाम	श्रेणी		पुरस्कारों कीसंख्या
शिल्प गुरु पुरस्कार	शिल्प श्रेणी		05
	महिलाओं के लिए		01
	कुल		06
राष्ट्रीय पुरस्कार			
1	शिल्प श्रेणी	धातु पात्र	01
		लकड़ी का कार्य	01
		बेंत और बांस तथा वन-आधारित उत्पाद	01
		पत्थर के पात्र	01
		कुंभकारी, सेरेमिक और टेराकोटा	01
		चित्रकारी	01
		आभूषण और अर्द्ध-कीमती पत्थर	01
		पेपर मशीन शिल्प और पेपर शिल्प	01
		कलात्मक वस्त्र	01
		हस्तनिर्मित कालीन/गलीचे/दरियाँ	01
		खिलौने और गुड़िया, कठपुतली खेल, और पतंगें	01
		विविध शिल्प	01
		महिला कारीगर	01
		30 वर्ष से कम के युवा कारीगर	01
		दिव्यांग कारीगर	01
		लुप्तप्राय शिल्प	01
		जनजातीय कारीगर	01
2	डिज़ाइन नवीनता		01
3	स्टार्ट-अप उद्यम/उत्पादक कंपनी		01
	कुल		19

2. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कृपया https://indian.handicrafts.gov.in पर लॉग इन करें। पात्रता मानदंड, आयु, अनुभव, आवेदन पत्र आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पुरस्कार संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की वेबसाइट (www.handicrafts.nic.in) से विज्ञापन पर क्लिक करके डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी/सहायता के लिए, आवेदक निकटतम हस्तशिल्प सेवा केंद्र (एचएससी) से संपर्क कर सकते हैं।
3. विधिवत भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों और पुरस्कार प्रविष्टि के साथ, निकटतम हस्तशिल्प सेवा केंद्र में 31.03.2026 तक जमा किया जाना चाहिए।

CBC 41103/11/0012/2526